

प्ररूप-2 ख

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

[नियम 4 देखिये]

नामनिर्देशन-पत्र  
(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन  
नीचे भाग 1 या भाग 2 जो लागू न हो, काट दें।

**भाग-1**

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में  
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग

सं. .... में क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम ..... है जो ..... विधान

सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं. .... में क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

तारीख .....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

**भाग-2**

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में  
निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम .....

पिता/माता/पति का नाम .....

उसका डाक पता .....

उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली

के भाग सं. .... में क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए  
निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज है और हम इस नाम-निर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं।

**प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर**

क्र. सं.	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

कृपया ध्यान दें :—प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

**भाग-3**

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हों उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे ख (i) या ख (ii), जो लागू न हो उसे काट दें]

ख (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्यीय दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

ख (ii) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ, (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं, वे अधिमान क्रम में (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

‡ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ..... \*\*जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो ..... राज्य के उस राज्य में के ..... (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित \*\*जाति /जनजाति है।

‡ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे ..... राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उपनिर्वाचनों में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में \*\*\*नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

‡ यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

\*\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

कृपया ध्यान दें :—“मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल” निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

### भाग-3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिये

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर “हां” में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा:

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक .....

(ii) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) .....

राज्य .....

हां/नहीं

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये उसे सिद्धदोष ठहराया गया था .....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें) .....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था .....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने की राशि उपदर्शित करें)।  
.....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) .....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे:

हां/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों) / पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां : .....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे:  
.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं; .....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो --

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) .....

(ख) पारित आदेश (आदेशों) की प्रकृति .....

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख :

**भाग-4**

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं. ....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... (बजे) \*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

**भाग-6**

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना  
(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं. .... का, जो .....

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में .....

..... (तारीख) को ..... (बजे) \*अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया। सब नामनिर्देशन-

पत्रों की संवीक्षा ..... (तारीख) को ..... (बजे) ..... (स्थान)

में की जाएगी।

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

## भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय।

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण) .....